संख्याः 2438 /XVII(4)/2011/129/06टी0सी0

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई.सी.डी.एस.,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग **देहरादून दिनांकः 07 दिसम्बर, 2011**

विषयः– **विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ हुए वर्तमान अनुबन्ध के प्रस्तर 3.1 के अनुसार 10 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2344/ XVII(4)/2011/ 129/06 टी0 सी0 दिनांक 1–11–2011 के क्रम में एवं आपके पत्र संख्या 1346/डब्लू0एफ0पी0 –1848 /2011–12, दिनांक 28–9–2011 तथा पत्र संख्या 1817–18/डब्लू0एफ0पी0 –1848 /2011–12, दिनांक 21–11–2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 2484/ XVII(2)/2010 दिनांक 1–10–2010 द्वारा टेक होम राशन की आपूर्ति के सम्बन्ध में सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लू0एफ0पी0) के मध्य हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के प्रस्तर 3.1 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति हेतु डबलू0एफ0पी0 को अवशेष 10 प्रतिशत धनराशि रू0 1,47,93,475/– (रू0 एक करोड़ सैतालीस लाख तिरानबे हजार चार सौ पिचहत्तर मात्र) का भुगतान करने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति संलग्नक विवरणानुसार श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2. स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि आवंटित की गई हो। उक्त धनराशि का आहरण/व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप ही यथा आवश्यकता नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्धारित समयान्तर्गत भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रेषित किया जायेगा।

3. उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति के फलस्वरूप शासनादेश दिनांक 1–11–2011 निरसित माना जाये तथा उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व यह भली–भांति सुनिश्चित कर लिया जाय कि डबलू0एफ0पी0 द्वारा 90 प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष सम्पूर्ण निर्धारित मात्रा का पोषाहार आपूर्तित कर दिया गया है तथा उसके पास अवशेष कोई धनराशि नही है।

4. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिये कदापि न छोडी जाय।

5. मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जाएगा।

7– उक्त स्वीकृति वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0 संख्या 293 (P)/XXVII(3)/2011-12 दिनाँक 5–12–2011 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव

संख्याः 2458 (1)/XVII(4)/2011 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/मा0मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड।
8. वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या /XVII(4)/2011/तद्दिनांक का संलग्नक

(हजार रू0 में)

क्र स	अनु0 स0	लेखाशीर्षक	मानक मद संख्या एवं नाम	10 प्रतिशत धनराशि
1	2	3	4	
1	15	2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02–समाज कल्याण 102– बाल कल्याण 03– परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत संबंधित बाल विकास पोषाहार, पोषाहार हेतु ईधन, कच्चा माल आदि की व्यवस्था 0303–पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया जाने वाला पोषाहार, पोषाहार हेतु ईधन, कच्चा माल आदि की व्यवस्था	31– सामग्री और सम्पूर्ति	11686.845
2	30	2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02–समाज कल्याण 102– बाल कल्याण 02– अनु0 जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 0202–समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुष्टाहार (राज्य योजना)	31– सामग्री और सम्पूर्ति	2662.825
3	31	2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02–समाज कल्याण 796–जनजातिय क्षेत्र उप योजना 01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं 0102–पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार (राज्य योजना)	31– सामग्री और सम्पूर्ति	443.805
		योग (अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31)		**14793.475**

(रू0 एक करोड़ सैतालीस लाख तिरानबे हजार चार सौ पिचहत्तर मात्र)

(प्रदीप जोशी)
अनु सचिव